

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल
निगरानी प्रकरण क्र...../17

III/निगरानी/सीहोरा/श्रु. 21/2017/3039

1. पवन बियाणी आ.स्व.श्री गोविंददास बियाणी
 2. सुमंत बियाणी आ.स्व.श्री गोविंददास बियाणी
- दोनो निवासी-बड़ाबाजार छावनी सीहोर जिला-सीहोर. निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. संजय बियाणी आ.स्व.श्री गोविंददास बियाणी
निवासी सुधाराय बृहपुरी कालोनी सीहोर जिला-सीहोर
2. सर्व साधारणप्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 18/08/2017 एवं 28/08/2017
जो प्रकरण क्रमांक 193/अ-6/2014-15 में अधीनस्थ
नजूल अधिकारी सीहोर द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न
तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं -

--:: तथ्य ::--

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा स्व.पिता श्री गोविंद दास जी द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भवन पर नजूल अभिलेख में अपने नाम नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. यह कि प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ नजूल अधिकारी सीहोर द्वारा प्रकरण स्थापित कर रेस्पॉडेंट को सुनवाई का अवसर दिया जिस पर उसके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।
3. यह कि रेस्पॉडेंट के जवाब के बाद प्रकरण निगरानीकर्ता की साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर निगरानीकर्ता द्वारा अपने व साक्षियों के शपथ पत्र पर कथन एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।
4. यह कि निगरानीकर्ता की साक्ष्य के दौरान रेस्पॉडेंट द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी प्रकरण आर.-3617/2/2016 प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ नजूल अधिकारी के समक्ष साक्ष्य की कार्यवाही रुक गई। --2--

WS

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सीहोर/भूरा/2017/3039

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
13-9-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ० पी० शर्मा एवं श्री डी० ०के पासी उपस्थित होकर उनके द्वारा नजूल अधिकारी सीहोर के प्रकरण क्रमांक 193/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18.8.17 एवं 28.8.17 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी तर्क है कि नजूल अधिकारी के समक्ष प्रकरण की कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसीलदार सीहोर के न्यायालय से मूल दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रस्तुतकर अपनी साक्ष्य पूर्ण करने हेतु समय की मांग की गई किन्तु अधीनस्थ नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 18.8.17 को आवेदक की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि साक्ष्य का अवसर दिलाया जावे।</p> <p>3- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आदेश पत्रिका दिनांक 18.8.17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पूर्व दिनांक को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया था लेकिन उनका साक्ष्य नहीं हो पाया और दिनांक 18.8.17 को साक्ष्य को मौका समाप्त किया गया।</p>	

//2//

इसके पश्चात उनका साक्ष्य को मौना नहीं दिया गया और प्रश्नकरण में दिनांक 1.9.17 पेशी नियत की गई।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी सीहोर को आवेदक को साक्ष्य हेतु मौका दिया जाना चाहिये लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया था कि तहसीलदार सीहोर के न्यायालय से मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग भी की लेकिन समय नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी सीहोर का प्रकरण क्रमांक 193/अ-6/2014-15 में पारित अतिरिक्त आदेश दिनांक 18.8.17 एवं 28.8.17 को निरस्त करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उचित आदेश पारित करें। आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।


सदस्य

